

महत्वपूर्ण एवं खास

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान
अंतर्गत जिला स्तरीय टॉक फोर्स
समिति गठित

» कलेक्टर यशवंत कुमार समिति के अध्यक्ष न्याय साक्षी/रायगढ़। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय टॉक फोर्स समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। समिति में कलेक्टर, यशवंत कुमार अध्यक्ष है। बही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋण प्रकाश चौधरी सदस्य एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ टी के जाटकर को सदस्य सचिव बनाय गया है। इसी तरह समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी, जिला शिक्षा अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, उप संचालक समाज कल्याण रेम्स साहू, उप संचालक जनसंपर्क डॉ.उषा किरण बडाइक, सचिव जिला विधिक सहायता प्राधिकरण, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनआरएचएम रायगढ़, डॉ.मनोज बेरीवाल मेट्रो हाँस्पिटल रायगढ़ एवं जनमित्र कल्याण समिति रायगढ़ के एनजीओ प्रतिनिधि मनीष सिंह को सदस्य बनाया गया है।

भूतपूर्व विद्यार्थी परिषद की बैठक 8 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्राचार्य डॉ.अतुल कुमार श्रीवास्तव ने के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ में 8 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे भूतपूर्व विद्यार्थी परिषद की बैठक में सभी संबंधितों को आमंत्रित किया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय स्तर के नैक मूल्यांकन तथा महाविद्यालय के विकास एवं उन्नयन में भूतपूर्व विद्यार्थियों के विचार, सुझाव, अनुभव, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आग्रह किया है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण

कार्यक्रम 7 से 13 जनवरी तक
» 7 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे से होगा पंजीयन न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत स्वीकृत ऋण प्रकरणों में हितग्राहियों के लिए 7 से 13 जनवरी 2020 तक एक सासाह के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय में किया जाएगा। उक्त योजनान्तर्गत बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत के लिए प्राप्त हितग्राही प्रशिक्षण में पंजीयन हेतु 7 जनवरी को पूर्वान्ह 11 बजे उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।

विशेष वृहद लोक अदालत का आयोजन 18 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के द्वारा बैंक संबंधी मामलों के लिए 18 जनवरी 2020 को राज्य स्तरीय विशेष वृहद लोक अदालत के आयोजन हेतु जिला न्यायालय रायगढ़ एवं खरिसिया न्यायालयों में 18 जनवरी 2020 को बैंक संबंधी मामलों के लिए विशेष वृहद लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बैंकों के प्रौद्योगिकीय एवं लोकतान्त्रिक मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आयोजन 18 जनवरी को

न्याय साक्षी/रायगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत आयोजन हेतु आज विभिन्न पंचायत पर्यान्ते के लिए कुल 4336 लोगों ने नामांकन भरा। जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए 31, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 103, सरपंच के लिए 657 व पंच के लिए 3545 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस प्रकार अब तक जिला पंचायत सदस्य के लिए कुल 34, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 168, सरपंच के लिए 1041 व पंच के लिए 6275 लोग अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब तक कुल नामांकन की संख्या 7518 है।

टेली मेडिसिन के जरिये मरीजों को मिलेगा राहत

रायपुर(आरएनएस)। राजधानी के जिला अस्पताल से संचालित होने वाले टेली मेडिसिन सेवा से जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हेल्प एवं वेलेन्स सेंटर पर जुड़े।

कालिंदी हाइट्स में हुई चोरी का खुलासा

» बाल अपचारी सहित एक युवक गिरफ्तार 50 हजार रुपये की मशरूका- सोने, चांदी के जेवरात व मोबाइल बरामद



न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस चौकी जुटमिल अन्तर्गत कालिंदी हाइट्स में हुये चोरी के मामले में जुटमिल पुलिस द्वारा एक बाल अपचारी सहित एक युवक को चोरी की मशरूका के साथ गिरफ्तार किया गया है। चोरी में सैलिंस युवक रिपोर्टकर्ता के घर का परिचय था जिसे उनके घर में नहीं होने की जानकारी होने पर अपने साथी बाल अपचारी के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार कालिंदी हाइट्स जुटमिल में रहने वाले अविन्द तिवारी व उसके पत्नी दोनों नौकरी पेश हैं। अविन्द तिवारी का जोपड़ीपारा में रहने वाले दिलीप सिंह से जान परिचय था। दिलीप सिंह का इनके घर आने जाने हैं तथा दिलीप इनके घर के छोटे-मोटे काम जैसे मार्केट से समान लाना आदि किया करता था। दिनांक 26.10.19 को अविन्द तिवारी घर बंद कर सपरिवार दिवाली की छुट्टी में अपने घर जानकारी की सूचना पर चौकी प्रभारी जुटमिल निरीक्षक अंजना केरकट्टा व स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर तस्कीन किया गया था तथा क्षेत्र के सम्पत्ति सम्बंधी अपाराधी में सैलिंस व सैदियों से लापता रुपताल की जा रही थी। रिपोर्टकर्ता अविन्द तिवारी एवं आसपास के लोगों से भी पूछताल में कोई खास जानकारी नहीं मिली थी और न ही किसी के द्वारा दिलीप सिंह पर चोरी का सदह व्यक्त किया गया था। इसी बीच जुटमिल पुलिस के संक्रिय मुख्यिकर एवं सर्विलेस की मदद से जो जानकारी सामने आई उसमें

दिलीप सिंह की भूमिका सदैर के दारों में थी जिस पर जुटमिल पुलिस द्वारा दिलीप सिंह को हिसास में लेकर पूछताल किया गया जिसने चक्रधरनग क्षेत्र में रहने वाले अपने साथी बाल अपचारी 17.2 वर्ष के साथ दिनांक 27.10.19 की रात्रि चोरी की घटना को अंजाम दिया गया तथा चोरी में प्राप्त हुते जेवरातों को दोनों आपस में बाट लिये थे और नगदी रुपये 7,000 रुपये को खर्च कर दिए। आरोपियों के मेपेरेण्डम से चांदी के पायल 8 जोड़ा, चांदी के सिक्के 03 नग, चांदी का कड़ा 02 नग, चांदी का चाबी छल्क 01 नग, सोने का पक्क 01 नग, सोने का बाली 01 नग, सोने का नोज पिन 01 नग एवं 01 नोकेया मोबाइल जुलमा कीमत लापता 50,000 रुपये बरामद किया गया है। उपरोक्त अपाराध में सैलिंस आरोपी 1- दिलीप सिंह पिता कैलाश सिंह उपरोक्त 22 साल निवासी जोपड़ीपारा जुटमिल थाना को तवाली में आपस रायगढ़ को प्रस्तावित किया गया है। वहाँ एसडीएम सारांगढ़ वर्षा ने सरपंच पुरान खड़िया एवं तत्कालीन संचिव श्रीमती भूषण साहू द्वारा सुकवारा पिता ननकू पैति मोतीराम के स्थान पर अपाप्र सुकवारा पति सुखीराम एवं प्रियतू साहू पिता धनाकू के स्थान पर अपाप्र पिरताम यादव पिता देवसिंह का दस्तावेज जमा कर प्रधानमंत्री आवास का बेजा लाभ दिलाया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके इस लापरवाही से शासन की योजना के क्रियान्वयन में बाधा आयी है तथा पात्र भूमिका सारांगढ़ को निर्देशित किया गया है।

एसडीएम सारांगढ़ ने सरपंच एवं तत्कालीन संचिव पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही के लिए दिए निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। अनुविभागीय अधिकारी चंद्रकांत वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र विभागों को आवास के लाभ से वर्चित होने पर संबंधित अधिकारियों एवं करने के लिए प्रस्ताव एवं निर्देश दिए हैं। जनपद पंचायत सारांगढ़ ग्राम पंचायत डोमांडी (ब) के सरपंच पुरान खड़िया एवं तत्कालीन संचिव श्रीमती भूषण साहू द्वारा सुकवारा पिता ननकू पैति विभाग के लिए विभाग का लाभ से वर्चित होने से विकासपूण्ड समन्वयक जनपद पंचायत सारांगढ़ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जेवरात सारांगढ़ ग्राम पंचायत डोमांडी (ब) के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव प्रेषित

सरपंच एवं संचिव के द्वारा स्पष्ट रूप से आर्थिक गवन किए जाने के कारण पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वस्तुले हेतु उपरोक्त फौजियां द्वारा दिलीप सिंह को खड़िया करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जेवरात सारांगढ़ को प्रस्तावित किया गया है। वहाँ एसडीएम सारांगढ़ वर्षा ने सरपंच पुरान खड़िया एवं तत्कालीन संचिव श्रीमती भूषण साहू द्वारा सुकवारा पिता ननकू पैति मोतीराम के स्थान पर अपाप्र सुकवारा पति सुखीराम एवं प्रियतू साहू पिता धनाकू के स्थान पर अपाप्र पिरताम यादव पिता देवसिंह का दस्तावेज जमा कर प्रधानमंत्री आवास का बेजा लाभ दिलाया गया है। उल्लेखनीय है कि उनके इस लापरवाही से शासन की योजना के क्रियान्वयन में बाधा आयी है तथा पात्र भूमिका सारांगढ़ को निर्देशित किया गया है।

सीएए पर समर्थन के लिए भाजपा का अभियान

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय जनता पार्टी नागरिक (संशोधन) 2019 कानून जनजागरण समिति के संवाद प्रमुख के द्वारा आयोजित सोन्देश विभाग से जानकारी आयोजन 2020 को रायपुर स्तर पर अपाप्र सुखीराम की विभागीय अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ को प्रस्तावित किया गया है। वहाँ एसडीएम सारांगढ़ वर्षा ने सरपंच पुरान खड़िया एवं तत्कालीन संचिव श्रीमती भूषण साहू द्वारा ग्राम